भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3014

08 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषय:- जैविक खेती को बढ़ावा

3014. श्री हँसमुखभाई एस. पटेल:o

श्रीमती रंजीता कोली:

श्री एस.आर. पार्थिबन:

डॉ. मनोज राजोरिया:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

श्री रामचरण बोहरा:

श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:

श्री दिनेश चन्द्र यादव 'निरहुआ':

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजसहायता/प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है/प्रदान किए जाने का विचार है और यदि हां, तो विशेषकर तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके विपणन को सुकर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का वैश्विक बाजार में भारत के जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए राजस्थान सहित जैविक खेती के संवर्धन और विकास हेतु किसानों के लिए कोई योजना/नीति तैयार की है/बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/स्थान-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या विभिन्न अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि जैविक खेती से मृदा की उर्वरता में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या किसानों को जैविक खेती के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>

(क) से (घ): सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) की योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2015-16 से देश में प्राथमिकता के आधार पर जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन और फसलोपरांत प्रबंधन तक शुरू-से-अंत तक समर्थन पर जोर देती हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना का अभिन्न अंग हैं। जैविक उर्वरकों/खाद के उत्पादन

और उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहन इन योजनाओं में ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक आदान के रूप में अंतर्निहित है। जैविक उर्वरकों सहित जैविक आदानों का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रदान किया जाता है। पीकेवीवाई को देश भर के पूर्वोत्तर(एनई) राज्यों के अलावा अन्य सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है जबकि एमओवीसीडीएनईआर योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

पीकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डेटा प्रबंधन, पीजीएस प्रमाणन, मूल्य संवर्धन, विपणन और प्रचार-प्रसार जैसे विभिन्न घटकों को कवर करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु तमिलनाडु और राजस्थान सहित राज्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक आदान के लिए डीबीटी के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 31,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। जबकि एमओवीसीडीएनईआर के तहत, एफपीओ के निर्माण, किसानों को जैविक आदान, गुणवत्ताप्रद बीज/रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, प्राथमिक सहायता और प्रमाणीकरण के लिए 3 वर्ष के लिए 46,575 रुपये/हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, योजना के तहत किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक आदान के लिए 3 वर्ष के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है जिसमें राज्य लीड एजेंसी (एसएलए) द्वारा किसानों को डीबीटी के रूप में 15,000 रुपये और रोपण सामग्री के लिए 17,500 रुपये दिए जाएंगे।

वैश्विक बाजार में भारत के जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार मूल्य संवर्धन, प्रमाणीकरण और विपणन की सुविधा दे रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2001 में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण शुरू किया है।

पीकेवीवाई के तहत तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को मूल्य संवर्धन, विपणन और प्रचार की सुविधा के लिए 3 वर्ष के लिए 8800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान सहित सभी राज्यों के किसानों के लिए पीकेवीवाई के तहत प्रमाणीकरण और प्रशिक्षण, प्राथमिक सहायता और क्षमता निर्माण हेतु क्रमशः 3 वर्ष के लिए 2700रूपए/-हेक्टेयर और 3 वर्ष के लिए 7500रूपए/-हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। जबकि एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और प्रमाणन हेतु 3 वर्ष के लिए 10,000 रूपए/-हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान जैविक खेती (पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर के तहत) योजनाओं के तहत आवंटित, जारी और उपयोग किए गए धन का योजना-वार और राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ड.): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा जैविक और पारंपरिक प्रबंधन के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए चयनित स्थलों पर किए गए एक दीर्घकालिक प्रयोग से संकेत मिलता है कि खरीफ के दौरान फसलों की उपज अधिक पाई गई और दीर्घकालिक जैविक प्रबंधन दृष्टिकोण के तहत अजैविक पद्धति की तुलना में मोटे अनाज/बासमती चावल आधारित फसल प्रणाली, सोयाबीन आधारित प्रणाली के

लिए रबी/ग्रीष्मकालीन फसलें इन प्रणालियों की बेहतर उपयुक्तता का संकेत देती है। मोटे चावल, बासमती चावल और सोयाबीन आधारित प्रणालियों के लिए दीर्घकालिक जैविक दृष्टिकोण के तहत मृदा में अजैविक कार्बन काफी अधिक पाया गया।

(च): जैविक और प्राकृतिक खेती के साथ-साथ कृषि उत्पादन और विभिन्न प्रकार के जैविक उर्वरकों के उपयोग पर जानकारी का प्रसार करने के लिए, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) और गाजियाबाद, नागपुर, बेंगलुरू, इंफाल और भुवनेश्वर में स्थित इसके क्षेत्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (आरसीओएनएफ) देश भर में विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन कर रहे हैं, जैसे एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण, विस्तार अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण, पीजीएस पर दो दिवसीय प्रशिक्षण, 30 दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, 500 प्रतिभागियों के लिए एक दिवसीय जैविक एवं प्राकृतिक किसान सम्मेलन, 100 प्रतिभागियों के लिए प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय हितधारक परामर्श/सम्मेलन, प्राकृतिक खेती पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम और देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे है। एनसीओएनएफ और आरसीओएनएफ जैविक और प्राकृतिक खेती और जैविक एवं जैव उर्वरकों उत्पादन और उपयोग पर ऑनलाइन जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

आईसीएआर किसानों को जैविक खेती और जैविक उर्वरकों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण, फ्रंट-लाइन प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजि करता है।

अनुबंध-I

वर्ष 2022-23 के दौरान जैविक खेती के तहत निधि आवंटन, निर्मुक्ति और व्यय का योजना-वार (पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर) और राज्य-वार विवरण।

लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य का नाम	2022-23		
		आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय*
पीकेवीवाई				
1	आंध्र प्रदेश	826.35	0.00	0.00
2	बिहार	2830.65	1547.68	789.75
3	छत्तीसगढ़	3504.93	0.00	571.03
4	गुजरात	20.50	0.00	0.00
5	गोवा	1025.10	0.00	283.05
6	हरियाणा	10.25	0.00	0.00
7	झारखंड	1397.27	0.00	0.00
8	कर्नाटक	1045.61	512.55	256.35
9	केरल	1971.12	1712.07	647.52
10	मध्य प्रदेश	5925.51	0.00	1375.93
11	महाराष्ट्र	745.90	449.67	776.74
12	ओडिशा	741.44	370.72	311.97
13	पंजाब	222.46	0.00	0.00
14	राजस्थान	2452.64	1783.26	3363.94
15	तमिलनाडु	704.87	0.00	170.56
16	तेलंगाना	30.75	0.00	0.00
17	उत्तर प्रदेश	12972.55	5089.32	2111.16
18	पश्चिम बंगाल	555.39	555.39	240.41
19	एनई (आकांक्षी एवं प्रतिबद्ध देनदारियां)	0.00	0.00	7.58
20	हिमाचल प्रदेश	1121.36	0.00	1124.32
21	उत्तराखंड	6030.68	5969.00	7652.94
22	सभी संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)	893.02	193.55	0.00
	कुल	45028.35	18183.20	19683.25
एमओवीसीडीएनईआर				
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2022-23**		
		आवंटन	**निर्मुक्ति**	**व्यय***
1	असम	2681.80	2059.15	2059.15
2	मणिपुर	2915.37	2915.36	2815.36
3	मेघालय	2011.88	621.57	524.33
4	नागालैंड	1961.01	1390.60	1289.60
5	मिजोरम	1604.25	1140.90	876.63
6	अरुणाचल प्रदेश	1860.77	1642.17	1526.26
7	सिक्किम	4005.10	1538.83	1398.25
8	त्रिपुरा	2759.82	3000.26	2819.01
	कुल	19800.00	14308.84	13308.59

* **व्यय कॉलम में पिछले वर्षों में जारी धनराशि से हुआ व्यय भी शामिल है**

****